2006:CGHC:5381

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 282/2002

याचिकाकर्ता	:	बुद्धवर सिंह, पिता कार्तिक राम, आयु लगभग 30 वर्ष, भूतपूर्व पंचायत सचिव, ग्रामःदेवलापथ, तहसील : करतला, जिलाः कोरबा (छग)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण	:	1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- सचिव, पंचायत और कल्याण विभाग, डी. के. भवन, रायपुर (छग) 2) सरपंच, ग्राम पंचायत, देवलापथ, तहः करतला, जिलाःकोरबा (छग)। 3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपत पंचायत, करतला, जिला-कोरबा (छग)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका

2006:CGHC:5381

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 282/2003

याचिकाकर्ता : बुद्धवर सिंह

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

सही/-
(सतीश के**.** अग्निहोत्री**)**
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2006:CGHC:5381

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 282/2003

याचिकाकर्ता : बुद्धवर सिंह

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

याचिकाकर्ता के लिए श्री शैलेश आहूजा, अधिवक्ता
उत्तरवादीगण संख्या 1 और 3 के लिए श्रीमती अंजु आहूजा, उप महाधिवक्ता सह श्री विनय हरित, उप शासकीय अधिवक्ता।
उत्तरवादी संख्या 2 के लिए श्री सुनील साहू, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(18 जुलाई, 2006)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर वर्तमान याचिका में कलेक्टर, कोरबा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.8.2002 (अनुलग्नक पी–5) को चुनौती दी गई है, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा याचिकाकर्ता को सचिव, ग्राम पंचायत के पद से हटाने के लिए पारित संकल्प दिनांक 3.4.2002 विधिक और विधिमान्य था। श्री तिहारूराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, देवलापथ, जनपद पंचायत करतला, जिला कोरबा के आदेश दिनांक 21.4.2000 में याचिकाकर्ता को सचिव, ग्राम पंचायत, देवलापथ के पद से हटाने को भी चुनौती दी गई है।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 10.4.1999 द्वारा पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था।इसके बाद, याचिकाकर्ता को पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 69 (1) के अधीन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।

अधिनियम की धारा 69 (1) के दूसरे परंतुक में ग्राम पंचायत के सचिव के पद पर संबंधित ग्राम पंचायत के किसी भी अधिकारी के संबंधी की नियुक्ति पर रोक लगाने का परंतुक है। स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्ता तत्कालीन पंच रामसाई का छोटा भाई था। यह जानने के बाद कि सचिव के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति अवैध थी। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा ने अपने संकल्प (अनुलग्नक आर–1) दिनांक 17.4.2000 में याचिकाकर्ता को सचिव के पद से इस आधार पर हटाने का संकल्प लिया था कि सचिव के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति अवैध और आदितः ही शून्य थी।

3. याचिकाकर्ता, व्यथित होने के कारण, अपील संख्या 25–ए–89 ए (15)/99–2000 में अनुविभागीय अधिकारी, कोरबा के समक्ष अपील दायर की थी। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 8.1.2001 द्वारा अपील को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत अपील पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इसके बाद, उक्त आदेश के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील की गई। कलेक्टर ने आदेश दिनांक 26.8.2002 द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता तत्कालीन सरपंच रामसाय का भाई था और पंचायत राज अधिनियम की धारा 69 (1) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो सरपंच का निकट संबंधी हो, उसे पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।

5. उत्तरवादीगण संख्या 1 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता तत्कालीन सरपंच का भाई है, वह पंचायत कर्मी के रूप में कार्य कर सकता है, परंतु पंचायत राज अधिनियम की धारा 69 (1) के उपबंधों के अंतर्गत पंचायत सचिव के रूप में कार्य जारी नहीं रख सकता है।

उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम 1995, तालिका ए के नियम 3 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी कलेक्टर नहीं अपितु अनुविभागीय अधिकारी है।

6. ग्राम पंचायत की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की पंचायत सचिव के रूप में नियुक्ति दोषपूर्ण और अवैध थी क्योंकि वह तत्कालीन सरपंच का भाई था, जो अधिनियम के नियम 69 (1) के उपबंधों के विपरीत था।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और विधिक अभिलेखों और उपबंधों को देखने के बाद, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के अंतर्गत यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 69 (1) का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि जो व्यक्ति ग्राम पंचायत के किसी भी पदाधिकारी का रिश्तेदार है, वह ग्राम पंचायत सचिव का प्रभार धारित नहीं करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "धारा 69. सचिव तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति (1) राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी किसी ग्राम पंचायत के लिए या एक से अधिक ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक सचिव नियुक्त कर सकेगा :
>
> परन्तु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व ग्राम पंचायत के सचिव का प्रभार धारण करने वाल व्यक्ति, इस धारा के अनुसार सचिव की नियुक्ति हो जाने तक, उस रूप मे कृत्य करता रहेगा :
>
> परन्तु यह और भी कि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के सचिव का कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा यदि ऐसा व्यक्ति संबंधित ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी का नातेदार है।
>
> **स्पष्टीकरण**–इस उप–धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "नातेदार" का अर्थ है पिता, माता, भाई, बहिन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, श्वसुर, सास, साला बहनोई देवर, साली भाभी ननद देवरानी जेठानी, दामाद, पुत्रवधु।

8. याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी की पद की सेवाओं से हटा दिया गया और पंचायत कर्मी के रूप में बने रहने के लिए नातेदारी के आधार पर कोई वर्जन नहीं है। यह स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता अभी भी ग्राम पंचायत, देवलापथ में पंचायत कर्मी के रूप कार्यरत है।

9. उक्त कथित कारणों से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के नियम 69 के उपबंधों के विपरीत, तत्कालीन सरपंच रामसाई का छोटा भाई होने के नाते, अवैध रूप से 2006 में नियुक्त किया गया था। इसलिए, ग्राम पंचायत, देवलापथ, जनपद पंचायत करतला, जिला कोरबा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.4.2000, जिसकी पुष्टि कलेक्टर, कोरबा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.8.2002 द्वारा की गई है, विधिक और विधिमान्य है।

10. तदनुसार, याचिका निरस्त की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
(सतीश के**.** अग्निहोत्री**)**
न्यायाधीश

गौरी

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**